बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–विविध–02/2018– 971 खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रेषक,

भरत कुंमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण हेतु उपयोग में लाने वाले माप–तौल/वजन मशीन (उपस्कर) का भौतिक सत्यापन एवं सभी उपभोक्ताओं को रशीद (Cash Memo) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त परिवारों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य अन्तर्गत ,खाद्यान्न/किरासन तेल का वितरण किया जाता है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों को दिये जाने वाले अनुदानित खाद्यान्न एवं किरासन तेल की मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उपयोग में लाये जाने वाले माप–तौल/वजन मशीन (उपस्कर) द्वारा कम वजन में दिया जा रहा है, जिसके सत्यता की जाँच भौतिक रूप से कराये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उपभोक्ताओं को रशीद (Cash Memo) निर्गत नहीं किया जाता है। कम वजन देना एवं कैशमेमो नहीं देना बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश–2016 का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत पड़ने वाले सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले माप–तौल/वजन मशीन (उपस्कर) का भौतिक सत्यापन कराया जाय एवं सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों द्वारा उपभोक्तओं को अनिवार्य रूप से रशीद (Cash Memo) निर्गत करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 971 खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रतिलिपि :– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 971 खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी जिलों में कार्यरत माप–तौल नियंत्रक द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले माप–तौल/वजन मशीन (उपस्कर) का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

D:\2014\Sec_I\Vividh.doc